परिवहन दुर्घटना आपदा प्रतिक्रिया

पृष्ठभूमि:

परिवहन दुर्घटनाओं में शहर की सड़कों, राजमार्गों, विमान, रेलमार्गों तथा पोटोमैक एवं एनकोस्टिया नदियों में होने वाली दुर्घटनाएँ शामिल हैं। परिवहन दुर्घटनाएँ बहुत घातक हो सकती हैं और सड़क एवं रेलमार्गों पर देरी का मुख्य कारण हो सकती है।

आप http://.textalert.ema.dc.gov/index.php?CCheck-1 पर अलर्ट DC के लिए साइन अप करके मौजूदा परिवहन मुद्दों और आपात स्थितियों पर अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या आप जिला परिवहन विभाग की वेबसाइट http://ddot.dc.gov पर भी यातायात रिपोर्ट देख सकते हैं।

परिवहन सुझाव:

- आक्रामक ड्राइविंग व्यवहार से बचें।
- ड्राइविंग करते समय अपने सेलफ़ोन का उपयोग करने से बचें (हैंड्स-फ़्री उपकरण के बिना अपने सेल फ़ोन का उपयोग करना जिले में अवैध है)।
- सड़क पर और यातायात निर्देशों पर अपनी नज़र रखें।
- जब भूमिगत प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े हों, तो अपने आस-पास के बारे में जागरूक रहें।
- सभी मेट्रो स्टेशनों पर रखे गए आपातकालीन फ़ोन के स्थानों से परिचित रहें। मेट्रो-रेल ट्रेन कारों के दोनों छोर पर आपातकालीन इंटरकॉम भी मौजूद होते हैं।
- मेट्रो ट्रांज़िट सिस्टम से जुड़ी आपातकालीन निकासी प्रक्रियाओं से परिचित रहें।
- किसी आपातकालीन स्थिति के दौरान मेट्रो रेल या मेट्रो बस की सवारी करते समय बस या ट्रेन के रुकने की प्रतीक्षा करें। वाहन परिचालक के निर्देशों को सुनें।
- यदि कोई घायल हो तो सहायता प्राप्त करें या तुरंत 9-1-1 पर कॉल करें।
- यदि घायल नहीं हों तो ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए तैयार रहें, जैसे व्हीलचेयर पर बैठे या स्ट्रॉलर वाले लोग।
- बसों और रेल कारों पर आपातकालीन निकास का प्रयोग केवल उसी स्थिति में करें जब यात्रियों की सुरक्षा को तात्कालिक रूप से ख़तरा हो।
- यदि किसी मेट्रो-रेल ट्रेन से नीचे उतारे गए हों, तो बिजली गुल होने पर भी "तीसरे रेल" को स्पर्श ना करें, क्योंकि इसके बावजूद रेल के ज़रिए बिजली चल सकती है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के तट रक्षकों की सिफ़ारिश है कि कोई भी सवारी करते समय अत्यंत उच्च फ़्रीक्वेंसी वाला FM (VHF FM) रेडियो अपने पास रखें।
- सुनिश्चित करें कि आप और आपके सह-यात्रियों को बोटिंग के सभी क़ानून और नियमों की जानकारी है।
- महानगरीय पुलिस विभाग के हार्बर पेट्रोल यूनिट द्वारा पेश किए जाने वाले नाव सुरक्षा पाठ्यक्रम में दाख़िला लें। कोलंबिया जलमार्ग जिले के किसी भी नाव ऑपरेटर के पास नाव सुरक्षा प्रमाण-पत्र होना

आवश्यक है।